झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—523/2017— .................. /राँची, दिनांक ..............

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :— **सरायकेला जिला अंतर्गत दुगनी बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु रूपये 9543.40 लाख (रूपये पंचनावे करोड़ तैतालीस लाख चालिस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

**आदेश—स्वीकृत।**

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रक्षेत्राधीन सरायकेला जिलान्तर्गत गमहरिया प्रखण्ड के दुगनी ग्राम के निकट संजय नदी पर दुगनी बराज योजना का निर्माण कार्य हेतु रूपये 9543.40 लाख (रूपये पंचनावे करोड़ तैतालीस लाख चालिस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।

3. बराज निर्माण स्थल तक नदी का जलग्रहण क्षेत्र 2048.60 वर्ग किलोमीटर आकलित है। दुगनी बराज का CCA 445 हे० है। योजना से सरायकेला जिले के 413 हे० खरीफ एवं 258 हे० रब्बी क्षेत्र में सिंचाई दी जा सकेगी।

4. बराज पक्का संरचना की लम्बाई 60 मी० है, जिसमें गेटों की संख्या 5 है। सभी गेट का Size 10m x 10m है। एक River Sluice का भी प्रावधान है, जिसके गेट का size 0.65m x 0.65m है। बराज निर्माण के बाद 5.86 MCM पानी का Storage होगा, जिससे खरीफ के साथ—साथ रब्बी सिंचाई भी दिया जा सकेगा।

5. बराज से निःसृत एक मात्र मुख्य नहर की लम्बाई 9.80 कि०मी० है। इस नहर में 75mm Concrete lining का प्रावधान है। मुख्य नहर के 1st reach 0.00 से 3.15 कि०मी० तक जलश्राव 9.30 क्यूसेक, 2nd reach कि०मी० 3.15 से कि०मी० 7.575 तक जलश्राव 7.50 क्यूसेक तथा 3rd reach कि०मी० 7.575 से कि०मी० 9.80 तक जलश्राव 5.50 क्यूसेक रूपांकित है।

मुख्य नहर से एक वितरणी निकलती है, जिसकी लम्बाई 3.15 कि०मी० है।

6. इस योजना के निर्माण से गमहरिया प्रखण्ड के 8 ग्राम लाभान्वित होंगे। जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस योजना से इस पिछड़े इलाके में 413 हे० खरीफ एवं 258 हे० रब्बी सिंचाई दिया जा सकेगा।

7. योजना से सिंचाई के अतिरिक्त 28.78 हे०मी० पानी पेयजल हेतु तथा 14 हे०मी० पानी औद्योगिक उपयोग के लिये भी उपलब्ध हो सकेगा।

8. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारंभ कर वर्ष 2019–20 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

9. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रांची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, चाईबासा होंगे।

10. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. इस योजना की आकलित लाभ–लागत अनुपात 1.02 : 1 है।

12. जल संसाधन विभाग के लिये मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत वर्ष 2017–18 के बजट में नई योजनाओं के लिए रू॰ 500.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान निम्नवत् है :–

    (i) शीर्ष – 49S–4701–80–789–65–05–45 में रू० 50.00 लाख

    (ii) शीर्ष – 49S–4701–80–800–65–05–45 में रू० 200.00 लाख

    (iii) शीर्ष – 49S–4701–80–789–63–05–45 में रू० 50.00 लाख

    (iv) शीर्ष – 49S–4701–80–796–63–05–45 में रू० 200.00 लाख

13. वर्ष 2017–18 में इस योजना पर होने वाला व्यय नई योजना के प्रावधानित उपर्युक्त बजट शीर्ष के अधीन विकलनीय होगा।

14. वर्ष 2018–19 एवं आगे की वर्षों में इस योजना पर होने वाला व्यय चालू योजनाओं के निर्माण कार्य के लिय बजट शीर्ष 4701–80–789–62–05–45 एवं 4701–80–796–62–05–45 में प्रावधानित बजट राशि के अधीन विकलनीय होगा।

15. योजना पर व्यय हेतु राशि की निकासी चाईबासा कोषागार, चाईबासा से की जायेगी।

16. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

17. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

18. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा एवं मुख्य (योजना –सह– वित्त) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

19. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

20. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

21. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

22. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

23. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–523/2017– .................. /राँची, दिनांक ..............

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–523/2017– .................. /राँची, दिनांक ..............

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–523/2017– 1511/7...18.7.(91) /राँची, दिनांक 06/06/2017

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, चाईबासा/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)